



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2771 /2026

रोहित कुमार कुशवाहा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता : निधि, रवितेंद्र प्रताप सिंह चंदेल, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. श्री सुशील कुमार शुक्ला, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी मदद आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रवितेंद्र प्रताप सिंह चंदेल ने की, अधिवक्ता श्री मोहम्मद सैफ मुखबिर के अधिवक्ता कैलाश कमल हसन की तरफ से साथ ही राज्य के विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह को सुना और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को देखा।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 217/2025, धारा 103(1) बी.एन.एस., थाना- भटनी, जिला- देवरिया के अंतर्गत मुकदमा के लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका इस अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। प्राथमिकी में लगभग तीन दिन की देरी हुई है और इस देरी का कोई कारण नहीं बताया गया है। यहां तक कि मृतक व्यक्ति की लाश 14.10.2025 को बरामद हुई थी, लेकिन प्राथमिकी 16.10.2025 को दर्ज की गई, वह भी लाश मिलने के दो दिन बाद हुई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक को सिर्फ शक के आधार पर इस मामले में फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आवेदक 17.10.2025 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।
6. मुखबिर के अधिवक्ता और ए.जी.ए. ने जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया है।
7. "जब तक दोषी साबित न हो जाए, तब तक बेगुनाही का अंदाज़ा" का प्रसिद्ध सिद्धांत, नियम के तौर पर जमानत और अपवाद के तौर पर जेल के अवधारणा को जन्म देता है।
8. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी सिर्फ इसलिए नहीं ली जा सकती क्योंकि उस व्यक्ति पर कोई अपराध करने का आरोप है, जब तक कि अपराध साबित होने में कोई शक न हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी की जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कानून द्वारा तय प्रक्रिया का पालन न किया जाए, और प्रक्रिया सही और तर्कसंगत होनी चाहिए। इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने **सर्तेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में दोहराया है।
9. ऊपर कही गई बात को दोहराते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आईएनएससी 595** के मामले में फिर से इस बात पर जोर दिया है कि कानून का यह बहुत अच्छी तरह से तय सिद्धांत कि सज़ा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जा सकती, उसे नहीं भूलना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालय इस सिद्धांत को मानें कि "जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है"।
10. विद्वान ए.जी.ए./राज्य विधि अधिकारी ऐसी कोई खास परिस्थिति नहीं बता सके जिससे आवेदक को जमानत देने से मना किया जा सके।
11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलें, रिकॉर्ड में मौजूद सबूत, प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को सिर्फ शक के आधार पर फंसाया गया है, और और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, पहली नज़र में, न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत अर्जी **मंज़ूर** की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. आवेदक- रोहित कुमार कुशवाहा, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापित किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराया-धमकाएगा।

(iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।

13. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

14. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

28 जनवरी, 2026

विकास वर्मा